संख्या – /XXVII(1)/2005

प्रेषक,

एल0 एम0 पन्त,
अपर सचिव, वित्त,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

मुख्य नगर अधिकारी,
नगर निगम, देहरादून।

वित्त अनुभाग – 1

देहरादून : दिनांक : 21 दिसम्बर, 2005

विषय : 12वाँ वित्त आयोग की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष 2005–06 हेतु नगर निगम को धनराशि का संक्रमण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि 12वाँ वित्त आयोग, भारत सरकार की संस्तुतियों के आधार पर राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णयानुसार नगर निगम, देहरादून को चालू वित्तीय वर्ष 2005–2006 हेतु रू0 1,56,54,000/– (रूपया एक करोड़ छप्पन लाख चौवन हजार मात्र) की धनराशि तदर्थ आधार पर संक्रमित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

उपर्युक्त धनराशि निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन संक्रमित की जा रही हैः–

1. संक्रमित की जा रही धनराशि का 50 प्रतिशत अंश ठोस कचरा प्रबन्धन (Solid Waste Management) पर व्यय किया जायेगा तथा शेष अन्य विकास कार्यों पर, इसके द्वारा ठोस कचरे का उठान उसे अलग करना तथा ढुलान पर होने वाला व्यय किया जा सकेगा। यह कार्यक्रम जनसामान्य की भागीदारी से किया जाना उचित होगा।
2. संक्रमित की जा रही धनराशि को कोषागार से आहरित करने के लिए बिल सम्बन्धित आयुक्त द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा। संक्रमित की जा रही धनराशि का उपयोग केवल उसी प्रयोजन हेतु किया जायेगा जिसके लिए संक्रमित की गई है। इस धनराशि से किसी प्रकार का व्यावर्तन/समायोजन अनुमन्य नहीं होगा। इस धनराशि को वेतन/पेंशन आदि पर व्यय नहीं किया जायेगा।
3. संक्रमित धनराशि का उपयोग 31 मार्च, 2006 तक करना होगा।
4. नगर विकास विभाग संक्रमित धनराशि के नियमानुसार उपयोग की समीक्षा करेंगे तथा इसके समुचित उपयोग के लिए उत्तरदायी होंगे। कोषागार से आहरित धनराशि का बाउचर संख्या तथा दिनांक की सूचना महालेखाकार उत्तरांचल एवं शासन के वित्त विभाग को भेजेंगे।
5. शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तो का अनुपालन विभागीय अधिकारी/वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तों में किसी प्रकार का विचलन हो तो वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तुरन्त वित्त विभाग को दी जायेगी।

6. इस धनराशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र भारत सरकार को भेजा जाना है। अतः उपयोगिता प्रमाण–पत्र आयुक्त द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कराकर 31 मार्च, 2006 तक वित्त विभाग को कराये गये कार्यों के विवरण के साथ उपलब्ध कराया जायेगा तभी अगले वर्ष हेतु धनराशि अवमुक्त की जायेगी।
7. रू0 100,00,000/– की धनराशि बजट प्राविधान से एवं रू0 56,54,000/– की धनराशि पुनर्विनियोग द्वारा स्वीकृत की जा रही है।
8. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2005–2006 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या – 07 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक – 3604– स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन–आयोजनेत्तर–01–नगरीय स्थानीय निकाय–191–नगर निगम–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र पुरोनिधानित योजनायें–0102–12वें वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान – 20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामे डाला जायेगा एवं संलग्न बी0 एम0– 15 के अनुसार वहन किया जायेगा।

भवदीय,

(एल0 एम0 पन्त)
अपर सचिव, वित्त

ख्या 1621 (1)/XXVII(1)/2005, तद्दिनांक :

तिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तरांचल, देहरादून।
2. आयुक्त गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
3. जिलाधिकारी, देहरादून।
4. महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून।
5. जिला मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
6. निदेशक, कोषागार, वित्त सेवायें, उत्तरांचल, देहरादून।
7. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तरांचल।
8. एन0आई0सी0, सचिवालय, उत्तरांचल, देहरादून।
9. विभागीय अधिकारी/वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो।
10. निदेशक, वित्त आयोग प्रभाग, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, ब्लॉक 11, पंचम तल, सी0जी0ओ0 काम्पलैक्स, लोधी रोड़, नई दिल्ली।

आज्ञा से,

21/12/2005

(एल0 एम0 पन्त)
अपर सचिव, वित्त

प्रपत्र बी0 एम0– 15
पुनर्विनियोग विवरण
(जैसा कि उल्लेख प्रस्तर – 178 में है)

अधिकारी– प्रमुख सचिव, वित्त

प्रशासनिक विभाग – वित्त विभाग

अनुदान संख्या – 07

(धनराशि हजार रूपये में)

...विधान एवं लेखाशीर्षक	मानक मदवार अद्यावधिक व्यय	वित्तीय वर्ष की शेष अवधि में अनुमानित व्यय	अवशेष धनराशि	लेखाशीर्षक, जिसमें धनराशि स्थानान्तरित की जानी है तथा धनराशि	पुनर्विनियोग के उपरान्त स्तम्भ–5 की कुल धनराशि	पुनर्विनियोग के उपरान्त स्तम्भ–1 में अवशेष धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
स्थानीय निकायों तथा ...राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति ...देशन ...यती राज संस्थायें ...ीय आयोजनागत / केन्द्र ...निधानित योजनाएँ ...वें वित्त आयोग से प्राप्त सहायक अनुदान / ...राज सहायता – 380000	268698	30,0000	800000	3604– स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन 0–1 नगरीय स्थानीय निकाय–191– नगर निगम 0–1 केन्द्रीय आयोजनागत / केन्द्र पुरोधानित योजनाऐं 0102– बारहवें वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान 20– सहायक अनुदान / अंशदान / राज सहायता– 5654	15654	374346
380000	268698	30,0000	80,0000	5654	15654	374346

...किया जाता है कि उक्त पुनर्विनियोग से बजट मैनुअल के प्रस्तर – 150–156 में उल्लिखित प्राविधानों एवं सीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

पुनर्विनियोग स्वीकृत।

संख्या 1621 A /XXVII(1)/2005 एवं तद्दिनांक,

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तरांचल।
2. जिला मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
3. मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम, देहरादून।

आज्ञा से,

21/12/2005

(एल0 एम0 पन्त)
अपर सचिव, वित्त